मानवाधिकार की अंतरराष्ट्रीय घोषणा

भाषांतरः- अए लोगो! हमने तुम्हें एक पुरुष तथा एक स्त्री से पैदा किया तथा तुम्हें बिरादरियों और क़बीलों का रूप दिया, ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानों। वास्तव में अल्लाह तआ़ला के यहाँ तुममें सबसे अधिक प्रतिष्ठित वह है, जो तुममें सबसे अधिक डर रखता है। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जाननेवाला, खबर रखने वाला है।

(सुरह- अल हुजुरातः 13)

सर्व संसार के लिए पैगम्बरे-रहमत सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के अवसर पर एक विशाल खुत्बा (धर्माप्रदेश) उपदेश फरमाया है आप (सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम) ने इसलामी शिक्षा का अस्तित्व व तात्पर्य दान फरमाया।

ना केवल मुसलमानों के लिए बल्कि सर्व मानवता के लिए एक विश्वसम्बन्धी सन्देश दिया। मानवता के अधिकार का वर्णन फरमाया, बनी नुअ़ मानव के सम्पूर्ण इस्नाफ से संबंधित अधिकार तथा कर्तव्य विवरण किया।

इन कि उस्तुकता व कार्यरत व सभ्यचार जीवन के लिए अनुशासन वर्णन फरमाए तथा सम्पूर्ण मनुष्य जाति को एक अपरिवर्तनीय नियम अल्लाह तआ़ला कि ओर से प्रदान फरमा कर विशाल कृपा फरमाई।

हज्जतुल वदा के इस खुत्बे को शरई़ व फिख्ही (इसलामी धर्मशास्त्र) पक्ष से बडी महत्वता प्राप्त है के इस खुत्बे से कई निदेशक-सिद्धांत स्थापित होते हैं। इसके एक एक लेखन से मसाइ़ल के समाधान होते हैं। इस विशाल खुत्बे को समाज व सामाजिक प्रतिष्ठा से भी बडी महत्वता प्राप्त है के इस में समाज व संसार के समस्या का समाधान उपलब्ध है और सांसारिक व सामाजिक सिद्धांत का विस्तार है।

इस विशाल व परम खुत्बे (धर्मापदेश) में सरकार पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने मनुष्य कि सामाजिक व सांसारिक जीवन के लिए सुनहरे व्यवस्था वर्णन किए हैं। जिन की प्रज्ञानता तथा इन पर कार्यरत समाज के हर क्षेत्र के लिए अत्यन्त अनिवार्य है।

यह धन्य खुत्बा सांसारिक व अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी बेमिसाल है के इस में मानवता के अधिकार के अनुसार से ऐसे महत्व तथा आवश्यक निर्देशक हैं जो कानून के विश्व के सदस्य के लिए लाभदायक कानून करने तथा दस्तूर करने के सिलसिले में एक समय में निष्पाद्य व उद्देश्य का स्तर रखते हैं।

--

भाषांतरः- लोगो मुझ (सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम) से सुनो, मैं तुम्हें वर्णन करता हुं, कियों के मैं नहीं समझता के इस वर्ष के बाद इस स्थान पर मेरी (सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम) तुम से कभी मुलाकात होगी।

(सीरह इ़ब्न हिश्शाम, हज्जतुल वदा, खुत्बा रसलु फि हज्जतुल वदा)

भाषांतरः- लोगो! अवश्य तुम्हारे खून, तुम्हारा धन तथा तुम्हरा सम्मान तुम्हारे पास आदरणीय है। यहाँ तक के तुम अपने पालनहार से जा मिलो, जैसे तुम्हारा आज का दिन, तुम्हारे इस महीने में, तुम्हारे इस नगर में सम्मान वाला है। सुनो! कया मैं (सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम) ने सत्य का सन्देश पहुंचा दिया? अय अल्लाह! गवाह रह।

(सहीह मुसलिम किताब उल ह़ज़रत, बाब ह़ज्जल बनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ह़दीस संख्याः 3009, कंज़ुल उ़म्माल, किताब उल ह़ज़रत ल उ़मरह, ह़दीस संख्याः 12355)

भाषांतरः- जिस व्यक्ति के पास कोई अमानत हो, वह इस व्यक्ति को दे दे, जिस ने इस के पास अमानत रखाई। अज्ञानता का सारा ब्याज (सूद) क्षमा है। किन्तु असल धन तुम्हारा अधिकार है, ना तुम किसी पर अत्याचार करो तथा ना तुम पर अत्याचार किया जाए।

अल्लाह तआ़ला ने निर्णय फरमा दिया के ब्याज नहीं लेना चाहिए तथा प्रथम ब्याज (सूद) में का समाप्त स्थापित देता हुं अब्बास बिन अबदुल मुत्तलिब का ब्याज है। अवश्य अज्ञानता का खून क्षमा है तथा पूर्व खून जिसे मैं समाप्त कर रहा हुँ (मेरे चाचा के बेटे) इ़ब्न रुबअ़य बिन हारिस बिन अबदुल मुत्तलिब का खून है।

(सीरह इ़ब्न हिश्शाम, ह़ज्जतुल वदा, ख़ुत्बा रसुल फी ह़ज्जतुल वदा)

भाषांतरः- अवश्य अज्ञानता के पद गिरा दिए जाते हैं, सिवाए खाने कअ़बा कि सुरक्षा तथा हुज्जाज को पानी पिलाने के।

(कंज़ुल उ़म्माल, किताब उल हज वल उ़मरह, अलबाब अलसालिस, फिल अ़ल उ़मरह व फज़ाइ़लहा व अहकामहा, हदीस संख्याः 12358)

भाषांतरः- लोगो! वास्तव में अल्लाह तआ़ला ने हर अधिकारी व्यक्ति को इस का अधिकार दान फरमाया है। अतः किसी वारिस के अधिकार में वसीयत ना कि जाए, बच्चे इसी व्यक्ति कि ओर मंसूब होगा जिस कि पत्नी से वह जन्म हुआ तथा हरामकारी करने वाले के लिए पत्थर है। और उन का हिसाब व किताब अल्लाह तआ़ला के भीतर है। जिस व्यक्ति ने अपने संबंध अपने पिता के अलावा किसी ओर कि ओर की या कोई सेवक अपने स्वामी (मुख्या व मालिक) बजाए किसी और को अपने मालिक बताए इस पर अल्लाह तआ़ला कि लानत (विपद) है। किसी महिला के लिए जाइज़ नहीं के वह अपने पति का धन इस कि आज्ञा के बिना किसी को दे, उधार अदा करने के योग्य है। केवल उपयोग के लिए ली हुई वस्तु वापिस करदी जाए, उपहार का बदला दिया जाए तथा जो व्यक्ति किसी का संरंक्षण हो, उसे वहीं अदा करें।

(जामे तिरमिज़ी हदीस संख्याः 2266)

भाषांतरः- ऐ लोगो! इस के सिवा कुछ नहीं के सम्पूर्ण मोमिन भाई-भाई हैं। किसी व्यक्ति के लिए इस के भाई का धन हलाल नहीं सिवाए इस के के वह प्रसन्नता से पेश करे।

(अल मुसतदरक अ़ला सहिहैन लिल हाकि, कुताबुल उ़लूम, हदीस संख्याः 290)

भाषांतरः- ऐ लोगो! वर्ष में महीनों को आगे पीछे करना कुफ्र में समावेश का कारण है। कुफ्फार इस के माध्यम अधिक भटकाए जाते हैं। वह एक वर्ष को हलाल स्थापित देते हैं और दूसरे वर्ष को हराम स्थापित देते हैं ताकि इन महीनों कि संख्या पुरी करें जिन्हें अल्लाह तआ़ला ने सम्मान के योग्य बनाया है। इस प्रकार वह अल्लाह तआ़ला कि हराम स्पष्ट चीज़ों को हलाल स्थापित देते हैं तथा जो अल्लाह तआ़ला ने हलाल किया है इसे हराम स्थापित देते हैं। अवश्य ज़माना घूम कर इस स्थिति पर आ गया है, जैसा उस दिन था जिस दिन अल्लाह तआ़ला ने आकाशों तथा धरती को पैदा फरमाया, निस्संदेह अल्लाह तआ़ला के पास महीनों कि संख्या अल्लाह कि पुस्तक में बारह है। जिस दिन उस ने आकाशों तथा धरती को पैदा फरमाया। उन में से चार महीनें सम्मान वाले हैं। 3 महीनें लगातार तथा एक तन्हा, ज़ुल खअ़दह, ज़ुल हज्जा, मोहरम तथा जब जमादुल आखिरी तथा शअ़बान के बीच है।

(सीरह इ़ब्न हिश्शाम, हज्जतुल वदा, खुत्बा रसुल फी हज्जतु वदा)

भाषांतरः- सावधान! तुम लोग मेरे (सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम) बाद गुमराह (भटका हुआ) मत हो जाउ के आपसी युद्ध व बिगाड, कश्त व खून में व्यस्त रहो।

(सहीह बुखारी हदीस संख्याः 4403)

भाषांतरः- अए लोगो! अपने सेवकों (गुलामों) तथा बांधियों (दासियों) का ध्यान रखो, अपने ग़ुलामों और बांधियों से अच्छा व्यवहार करो। इन्हें इस में से खिलाठ जो तुम खाते हो और वस्त्र पहनाठ जो तुम पहनते हो! यदि वह ऐसी गलती करें जिसे तुम क्षमा करना नहीं चाहते तो अल्लाह के बंदो! ठन को बेच दो तथा इन्हें चोट ना पहुंचाठ।

(अल मुअ़जम अल कबीर, हदीस संख्याः 18093)

भाषांतरः- ऐ लोगो! तुम्हारे ठपर तुम्हारे पत्नियों के अधिकार अनिवार्य (वाजिब) हैं तथा ठन के ज़िम्मे तुम्हारे अधिकार हैं। तुम्हारी स्त्री (महिला) के ज़िम्मे तुम्हारा यह अधिकार है के वह अपने पास ऐसे व्यक्ति को ना बुलाएं जिसे तुम नापसंद करते हो तथा यह भी ठन कि ज़िम्मेदारी है के कोई अश्लीलता का कर्म ना करें। यदि वह ऐसा कोई कर्म करें तो अल्लाह तआ़ला ने तुम्हें इस बात कि आज्ञा दी है के तुम इन्हें क़्वाबगाहों में छोड दो तथा इन्हें हलकी सी तंबी कर, यदि वह बाज़ आ जाएं तो रीति के अनुसार खर्चा तथा वस्त्र (पोशाक) ठन का अधिकार है। महिलाओं से संबंधित भलाई कि ठपदेश स्वीकार करो! कियों के वह तुम्हारी पाबंद तथा तुम्हारे प्रति फरमां हैं। वह खूद अपने लिए कुछ नहीं कर सकतीं, अतः तुम महिलाओं के बारे में अल्लाह तआ़ला से डरो! कियों के तुम ने नहीं अल्लाह कि अमान (सुरक्षा) के साथ प्राप्त किया तथा कलामे-इ़लाही कि बरकत (आशीर्वाद) से वह तुम्हारे लिए हलाल हुईं।

(सुरह इ़ब्न हिश्शाम, हज्जतुल वदा, खुत्बा अल रसुल फी हज्जतुल वदा)

भाषांतरः- ऐ लोगो! शैतान (राक्षस) इस बात से उदास हो गया है के अब तुम्हारी इस धरती पर इस कि इ़बादत (उपासना) कि जाए, परन्तु वह इस से प्रसन्न है के इस के सिवा अन्य ऐसी चीज़ों में इस का आज्ञापालन कि जाए जिन्हें तुम अपने कर्म में कमतर तथा अल्प हो, अतः तुम अपने धर्म के बारे में शैतान (राक्षस) से बचते रहो।

(सीरह इ़ब्न हिश्शाम, हज्जतुल वदा, खुत्बा अल रसुल फी हज्जतु वदा)

भाषांतरः- देखो! अपने पालनहार कि इ़बादत करो, बीच समय नमाज़ अदा करो, तुम अपने रमज़ान के महीने के रोज़े रखो, प्रसन्नता से अपने धन कि ज़कात दो। अपने रब के घर का हज़रत करो तथा अपने --- का पालन करो। तो तुम अपने रब कि जन्नत में प्रवेश हो जाउगे।

(मुसनद अहमद, हदीस अबी उम्माहती अलबाहली, हदीस संख्याः 22818)

भाषांतरः- ऐ लोगो! मैं (सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम) ने तुम में ऐसी चीज़ छोडी के जब तक तुम इसे मज़बूती से पकडे रहोगे मेरे (सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम) बाद हरगिज़ गुमराह ना होगे। अल्लाह तआ़ला कि पुस्तक क़ुरान मजीद तथा मेरी अहले बैत तथा मेरी सुन्नत।

(जामे तिरमिज़ी, हदीस संख्याः 291)

भाषांतरः- ऐ लोगो! तुम्हारा रब एक है तथा तुम्हारे पिता एक हैं, तुम सब आदम (अलैहिस सलाम) से हो तथा आदम (अलैहिस सलाम) मिठ्ठी से हैं। अल्लाह तआ़ला के पास तुम में बुज़ुर्ग तर वह व्यक्ति है जो सब से अधिक परहेज़गार (धर्मनिष्ट) हो, किसी अ़रबी को किसी अ़जमी पर कोई उत्तमता व प्रधानता प्राप्त नहीं केवल तक़वा (धार्मिकता) के। सुनो! कया मैं ने सन्देश पहुंचा दिया? ऐ अल्लाह! तु गवाह रह। दर्शन ने निवेदन कियाः हाँ (आप ने सत्य का सन्देश पहुंचा दिया) आप (सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम) ने आदेश फरमाया जो उपलब्ध है इसे चाहिए के अनुपलभ्य तक यह सत्य का सन्देश पहुंचा दे कियों के सामान्यतः जिस को बात पहुंचाई जाए वह रास्त सुन्ने वाले से अधिक इश को याद रखने वाला होता है।

(सहीह बुखारी हदीस संख्याः 1741, मुसनद अहमद हदीस संख्याः 24204, शुअ़बुल ईमान, लिल बैहखी, हदीस संख्याः 4921, कंज़ुल उ़म्माल, हदीस संख्याः 5652)

इसलाम का अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत कि घोषणा

हज्जतुल वदा के इस ऐतिहासिक व यादगार, मुबारक व पावन खुत्बे में नबी रहमत सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने अज्ञानता के सम्पूर्ण रीति-रिवाज तथा इस की समाप्ति कर दी और अयोग्य (असमर्थ) स्थापित किया,

जो अत्याचार व कठोरता, असभ्यता व आंतकवाद जैसे अनेक मानवता कार्य पर बन बना था।

हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने मानवता को अज्ञानता के दौर तथा इस के ग़ैर मानवता व्यवस्था से मुक्ति दान फरमाई तथा मानवता को रहती संसार तक के लिए एक सांसारिक एवं अंतरराष्ट्रीय इसलामी व्यवस्था दान फरमाया। जिस कि नीव न्याय व इन्साफ औऱ अमन व सलामती है। जिस का उद्देश्य दलित (उत्पीड़ित) को न्याय व इन्साफ दिलाना, ग़रीबों तथा नादारों कि विनती को पुरा करना, अधिकार वालों को इन के अधिकार पहुंचाना है।

सरकार सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इस उपदेश से मानवता को इस के वह बुनियादी अधिकार दान फरमाएं जो मनुष्य को प्राप्त होना तो दुर कि बाज आज तक दुनिया के मानव जाति उस से अनुभव भी ना थे। हज्जतुल वदा का यह विशाल खुत्बा *मानवता के व्यवस्था के अधिकार* का प्रारंभ था।

आप ने केवल मनुष्य के कानून को वर्णन फरमाया बल्कि उसके कार्यरत कि घोषणा फरमाई, मदीने तथा सम्पूर्ण इ़लाक़ों में यह कानून कार्यरत स्थापित हुआ।

सरकार सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने सम्पूर्ण सदस्यों को बराबर व एकसा स्थापित दिया। अतः कोई व्यक्ति मनुष्य कि हैसियत से दूसरे मनुष्य के उच्च नहीं रखता। रंग व नसल, जातिवाद , राजनीति व शासन, धन व सम्पत्ति का कोई अंतर रवा नहीं रखा गया।

इस अंतरराष्ट्रीय इसलामी सिद्धांत के प्रति सम्पूर्ण सदस्य को निवासी व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सुझाव का

अधिकार, व्यापार का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, विवाह का अधिकार तथा विचार के प्रकट करने का अधिकार, न्याय चाहने का अधिकार, अधिकार कि मांग का अधिकार, अन्य सम्पूर्ण – व्यक्तिगत व सार्वजनिक, ---- सामाजिक अधिकार प्राप्त होंगे।

दूसरी विश्वयुद्ध के बाद जब सुपर पावन को मानव जाति के अत्याचारी का अनुभव हुआ तो इस समय प्रथम बार मानवता के अधिकार के तर्ज़न तथा इस से संबंधित आवाज़ उठाई और इसी इसलामी व्यवस्था को नीव बना कर मानवताके अधिकार स्थापित किए गए तथा विश्व स्तर पर इनसानी अधिकार के कानून कि घोषणा की गई।

जब के सरकार सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने दूसरी विश्वयुद्ध से 1400 वर्षसे अधिक काल पूर्व ही इन सम्पूर्ण अधिकार का वर्णन किया तथा सारे संसार को अपना सार्वलौकिक सन्देश प्रदान फरमा दिया।

सरकार सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इस विशाल खुत्बे में मानवता के लिए जो महत्व अधिकार वर्णन किए हैं यहाँ चंद अधिकार का विवरण किया जा रहा है।

जान एवं धन कि सुरक्षा के अधिकार कि घोषणा

हर मनुष्य को जीवन बिताने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए तथा किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं के वह दूसरे कि जान के दरपे हो तथा इसे हत्या करवाए। इसी प्रकार जीवन बिताने के लिए धन कि सुरक्षा अवश्य है, ताकि वह अपनी इच्छा से धन का पूँजानिवेश करें तथा अपनी आवश्यकता

व विवशती का सम्पूर्ण कर सके, इस के लिए धन कि सुरक्षा का अधिकार दिया जाना अवश्य है।

किसी व्यक्ति के लिए यह उपयुक्त नहीं के वह दूसरे के धन को इसकी इच्छा के बिना प्राप्त करें।

इन दोनों अधिकारों कि नीन यह पवित्र आदेश है "लोगो! अवश्य तुम्हारे खून तुम्हारे धन तथा तुम्हारी इज्जत पास सम्मान के योग्य है"।

इसलाम के सामाजिक व्यवस्था का विवेक

समाज के सम्पूर्ण क्षेत्र इसी समय उन्नति कर सकते हैं जब के धन व सम्पत्ति चंद नागरिक में सामित तथा इन कि हद तक परिमित ना हो। बल्कि सम्पूर्ण सदस्य में गरदिश करती रहे।

ऐसा ना हो के धनी क्षेत्र धन समेट रहे और दरिद्र और ग़रीब क्षेत्र के लोग निर्धनता व दरिद्रता से घुट-घुट कर दम तोडते रहें। इस हिकमत व नीति के प्रति इसलामी व्यवस्था में ब्याज (सूद) को हराम तथा पाप स्थापित किया गया। धनवान पर ज़कात फर्ज़ की गई।

अन्य सदखात (परोपकार) का अनुदेश दिया गया। कुछ कर्म में आलस्य या गलती कि हर्जाना के लिए कफ्फारा वाजिब स्थापित किया गया और माल-ग़नीमत में क़ुमश (पांचवा भाग) स्थापित किया गया। ताकि इन ज़िम्मेदारोयं के द्वारा धन ग़रीब नागरिक कि ओर भी आए तथा चंद सदस्य ही में परिमित हो कर ना रह जाए।

इस सिलसिले में खुत्बे हज्जतुल वदा में फरमान हमारे लिए मार्गदर्शन है "अज्ञानता का सारा ब्याज क्षमा है किन्तु असल धन तुम्हारा अधिकार है... तुम अपने धन कि ज़कात अदा करते रहो!"।

एकता के अधिकार कि घोषणा

जिस समाज के नागरिक ऊंच-नीच, जात-पात, भेद-भाव, अमीर-ग़रीब, रंग-नस्ल के अनुसार से बटे हुए हों, वहाँ आपसी असमानता बहुत शीघ्र जन्म लेती हैं तथा ऐसा समाज बहुत कम अवधि में नाश हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ समाज वही है जहाँ मानव नागरिक में ऊंच-नीच, रंग-नस्ल का ध्यान ना हों।

हर एक के अधिकार बराबर व एकसा हों, सम्पूर्ण सदस्य के अधिकार में एकसा व एकता पाई जाती हो, इस सिलसिले में हबीब पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम का यह इरशाद है, "किसी अ़रबी को अ़जमी पर उत्तमता व प्रधानता प्राप्त नहीं केवल तक़वा (धर्मनिष्ट) के" इस पावन इरशाद के माध्यम मनुष्यों को क्षेत्र बांट के द्वारा भेद-भाव करने से मना किया गया। मानव जाति में असमानता को समाप्त किया गया तथा सांसारिक न्याय का सार्वलौकिक की घोषणा की गई।

महिलाओं के अधिकार कि घोषणा

अज्ञानता के दौर में महिलाओं से कठिन अत्याचारिक तथा ग़ैर-इन्सानी व्यवहार किया जाता था। लडकों को लडकियों पर अधिमान दी जाती, लडकी को बोझ समझा जाता, सम्पत्ति को बांटने में केवल लडकों का भाग

होता तथा लडकियां इस से बिल्कूल वचित रहतीं, माहवारी में महिला के साथ जानवरों से बदतर व्यवहार किया जाता था।

इस के साथ खाना पीना भी हराम समझा जाता, पुरुष महिला को जितनी बार चाहे तलाक देता तथा इद्दत (प्रतीक्षा काल) के अंत पर रूजु (सम्मिलित) कर लेता, समाज तथा अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रों में महिला अत्याचार पर थी।

सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने महिलाओं के लिए इन सम्पूर्ण अधिकार कि घोषणा फरमाई, जिस कि वह योग्य (सुपात्र) व हक़दार थीं तथा महिला को वह बुलंद स्थान तथा उच्च दर्जा प्रदान फरमाया के किसी धर्म व मज़हब में इस का ध्यान तक नहीं था।

खुत्बे हज्जतुल वदा में महिलाओं से संबंधित सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यह विशाल इरशाद मुबारक हैः-

भाषांतरः- महिलाओं के बारे में अल्लाह तआला से डरो तथा उन के साथ भलाई करने कि अनुदेश वसीयत स्वीकार करो।

(सुबूलुल हुदा वर्रशाद, अल बाब अल सलासिल, फी सियाख हज्जतुल वदा)

आंतकवाद की समाप्ति तथा अमन की घोषणा

अज्ञानता के दौर में प्रतिशोध का रिवाज इतना कठोर था के एख व्यक्ति कि हत्या के बदले कई सदस्य कि हत्या की जाती। तथा प्रतिशोध का यह सिलसिला सैंकडो वर्ष जारी रहता। साधारण सी बात पर झगडा करना तथा एक दूसरे कि जान लेना इस दौर में कोई कठिन कार्य ना था।

इस कारण से युद्धों का सिलसिला जारी रहात, युद्ध शुरु होती तो इस कि कोई सीमा स्पष्ट ना होती। असीम तौर पर लम्बी से लम्बी युद्धें लडी जातीं। युंद्ध *बिज़ास* 120 वर्ष तक जारी रही। इन लम्बे युद्ध का परिणाम यह होता के समाज में कोसों दुर तक अमन व शान्ति का निशान दिखाई ना देता। आंतक व असभ्यता का दौर रहता और अविरत भयभीत वातवरण होता।

सरकार पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने प्रतिशोध कि इस मानवता के विरूद्ध तथा आंतकवाद पर बनी अभ्यास कि समाप्ती कि घोषणा फरमाई जो सदियों से जारी थी। इरशाद फरमाया- "अज्ञानता के दौर के खून बहा समाप्त है"।

अर्थात अज्ञानता में जो हत्या का बदला लेना बाखी था वह अब नहीं लिया जाएगा तथा सरकार सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने मनुष्य कि जान को सम्मान के योग्य स्थापित दिया। इरशाद फरमाया "तुम्हारे खून तथा तुम्हारे धन, तुम्हारे बीच आदर वाले और सम्मान के योग्य हैं"।

इन रुहपरवार वर्णन के द्वारा बनी रहमत सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आंतकवाद को समाप्त फरमाया और अमन व शान्ति का सार्वलौकिक सन्देश देते हुए अमन व शान्ति की घोषणा फरमाई।

ग़ुलामों के अधिकार

प्राचीन से गुलाम मनुष्य के अधिकार से महरूम थे, उन कि हैसियत घर के साज़ व सामान या किसी फैकटरी के औज़ार से अधिक ना थी। इन से

दिन रात काम लिया जाता, इन्हें रात गुज़ारने के लिए वह स्थान दिया दिया जाता जहाँ पशु बाँधे जाते हैं। इन कि गरदन में धात का एक तौख होता।

यूरोपीय कानून में गुलामों से संबंधित मालिक को यह अधिकार प्राप्त था के वह सेवक (गुलाम व दास) को कोडे लगा सकता तथा कुछ परिस्थितियों में इसे हत्या भी कर सकता। गुलामों को अपना नाम रखने का अधिकार नहीं था।

इन्हीं पढाना तथा शिक्षा अनुदान करना अपराध स्थापित किया था। इन पर अत्याचार व कठोरता के ऐसे अत्यन्त वातावरण में सरकार पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने गुलामों से शिष्टाचार व सभ्यता करने का अनुदेश फरमाया तथा इन्हें मानवता के अधिकार प्रदान करने का आदेश फरमाया, यहाँ तक के भोजन तथा वस्त्र से संबंधित भी नसीहत फरमाई।

आप (सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम) ने हज्जतुल वदा के खुत्बे के अवसर पर इरशाद फरमायाः "अपने गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार करो, अपने गुलामों का ध्यान रखो, इन को वही खिलाठ जो तुम खाते हो तथा वही वस्त्र पहनाओ व जो तुम पहनते हो। यदि वह ऐसी गलती करें जिसे तुम क्षमा करना नहीं चाहते तो अल्लाह के बंदो! इन्हें बेच दो तथा इन्हें तकलीफ ना दो"।

सरकार सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इन्हें जीवन का अधिकार तथा शिक्षा का अधिकार के साथ साथ यह अधिकार भी प्रदान फरमाया के गुलाम यदि राजनीति विवेक तथा बुद्धिमत्ता रखता है तो राज्यपाल भी बन

सकता है तथा सारे लोगों पर इस का पालन व फर्माबरदार वाजिब व अनिवार्य है।

कियों के इरशाद फरमाया "ऐ लोगो! अमीर (मुखिया) कि बात सुनो तथा इसका पालन करो तथापि तुम पर किसी हबशी गुलाम को मुखिया बनाया जाए, जिस कि नाक कटी हुई हो, जब तक वह तुम्हारे तत्व में अल्लाह कि पुस्तक (किताब) को उपकरण व कार्यान्वयन करे।

आज संसार *मानवता के अधिकार के कानून* शास्त्र (उपकरण) होने के बावजूद महाशक्ति (अलौकिक शक्ति) क्षमता, समर्थन व सामाजिक अनुसार से निर्बल देशों को अपने पराजित तथा प्रति बनाए रखी हैं।

तथा *मानवता के अधिकार के कानून* को अपने लाभ व हितकारी के लिए उपयोग करते हुए उन पर कइ समय से तंग कर रहे हैं।

इस प्रकार *मानवता के अधिकार के कानून* जिस फसाद व बिगाड को समाप्त करने के लिए स्थापित किया गया था इसी के माध्यम निष्ठुर व बदअ़मनी फैलाई जा रही है तथा फिक्र व नज़र रखने वाले सदस्य ने जिस व्यवस्था व कानून के माध्यम मनुष्य जाति को इसके अधिकार दिलाने कि शपथ व वचन लिया था इसी कानून को अत्याचार व कठोरता तथा आंतकवाद कि वायु हमवार करने के लिए उपयोग किया जाने लगा।

यदि खुत्बे हज्जतुल वदा में सरकार सल्लल्लाहु तअ़ाला अलैहि वसल्लम के वर्णन किया मानवता के अधिकार को विश्व व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवशकारी हैसीयत दी जाए। इसे उपकरण व कार्यन्वित स्थापित करते हुए इस ओर लाया जाए तथा इस के विरुद्ध होने वालों पर कानूनी कार्रवाई कि

जाए तो संसार से अत्याचार व कठोरता का वातवरण व पर्यावरण समाप्त हो जाएगा।

अमन व अमान कि सुगन्धित वायु में ऐसे फूल खिलेंगे के उस कि सुगंध से मनुष्य जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्र महक उठेंगे।

अल्लाह तआ़ला हमें सरकार दो आ़लम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम कि पावन शिक्षा व अध्यापन के अनुसार जीवन बिताने कि मार्गदर्शन दान फरमाए।

आमीन...

		देहान्त का वर्ष
क़ुरान करीम	अल्लाह सुभानाहु वा तआ़ला	
अह़कामुल क़ुरान	इ़माम अबु बक्र अह़मद बन अ़ली राज़ी ह़नफी रह़मतुल्लाहि अलैह	370 हिज्री
तफसीरूल खुरतुबी	इ़माम अबदुल्लाह मुह़म्मद बिन अह़मद रह़मतुल्लाहि अलैह	671 हिज्री
सहीह़ बुखारी	इ़माम मुह़म्मद बिन इसलाइ़ल बुखारी रह़मतुल्लाहि अलैह	256 हिज्री
सहीह़ मुसलिम	इ़माम मुसलिम बिन ह़िजाज अबूल ह़सन खुरैशी रह़मतुल्लाहि अलैह	261 हिज्री
जामे तिरमिज़ी	इ़माम मुह़म्मद बिन उवैसी तिरमिज़ी रह़मतुल्लाहि अलैह	279 हिज्री

सुनन नसाई	इमाम अबु अबदुर्रहमान अहमद खज़वैनी रहमतुल्लाहि अलैह	303 हिज्री
सुनन इब्न माजह	इमाम अबु अबदुल्लाह मुहम्मद बिन यैज़ीद खुजवैनी रहमतुल्लाहि अलैह	273 हिज्री
सुनन अबु दाउद	इमाम सुलैमान बिन इशअ़त सजिस्तानी रहमतुल्लाहि अलैह	275 हिज्री
मोता अल इमाम मालिक	इमाम मालिक बिन अनस बिन मालिक रहमतुल्लाहि अलैह	179 हिज्री
मुसन्नफ अबदुर्रज़्ज़ाख	इमाम अबदुर रज़्ज़ाख बिन हिमाम सुनआ़नी रहमतुल्लाहि अलैह	211 हिज्री
मुसन्नफ इब्न अबि शैबह	इमाम अबु बक्र बिन मुहम्मद बन अबु शैबह कूफी रहमतुल्लाहि अलैह	235 हिज्री
मुसनद अल इमाम अहमद	इमाम अबु अबदुल्लाह अहमद बिन मुहम्मद बिन जंबल शैबानी रहमतुल्लाहि अलैह	241 हिज्री
शरह मआ़नी अल आसार	इमाम अबु जअ़फर अहमद बिन मुहम्मद अज़दी तहावी रहमतुल्लाहि अलैह	321 हिज्री
सहीह इब्न हिब्बान	इमाम अबु हातिम मुहम्मद बिन हिब्बान यतामी दारमी रहमतुल्लाहि अलैह	354 हिज्री
अल मअ़जम अल कबीर	इमाम सुलैमान बिन अहमद तबरानी रहमतुल्लाहि अलैह	360 हिज्री
अल सुनन अल कुबरा	इमाम अबु बक्र अहमद बिन हुसैन बैहखी रहमतुल्लाहि अलैह	458 हिज्री
कंज़ुल उम्माल	इमाम अ़लाउद्दीन बिन हिसामुद्दीन मुतखी हिन्दी रहमतुल्लाहि अलैह	458 हिज्री
सुबुलुल हुदा वर्रशाद	इमाम मुहम्मद बिन यूसुफ सालिह शामी रहमतुल्लाहि अलैह	942 हिज्री
किताब उल क़िराज	इमाम अबु यूसुफ यअ़खुब बिन इब्राहीम अन्सारी	182

	रहमतुल्लाहि अलैह	हिज्री
कंज़ुद दखाइ़ख	इ़माम अबूलबरकात अबदुल्लाह बिन अहमद बिन महमूद निसफी रहमतुल्लाहि अलैह	710 हिज्री
अहकाम अहल उल ज़िम्मह	अ़ल्लामा मुहम्मद बिन अबु बक्र इ़ब्न जूज़िय	751 हिज्री
दुर्रूल मुखतार	अल्लामा मुहम्मद अमीन इ़ब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाहि अलैह	1252 हिज्री
अल फतावा आलमगिरी	अल्लाह शैक़ निज़ामुद्दीन (व उ़लेमा हिन्द कि एक जमात) रहमतुल्लाहि अलैह	
फतावा अल बुलदान	इ़माम अहमद बिन यहया बिन जाबिर बुलाज़दी रहमतुल्लाहि अलैह	279 हिज्री
अल बिदायह वन निहायह	शेक़ अबु अलफिदा अल्लामा इसमाइ़ल बिन अ़म्र बिन कसरी रहमतुल्लाहि अलैह	774 हिज्री

परिचय अबुल हसनात इ़सलामिक रीसर्च सेन्टर

यह वैश्वीकरण (सार्वभौमिकता) का दौर है, आज विश्व एक छोटे गांव कि शिक्ल प्राप्त कर गया है। इंटरनेट (अन्तरराष्ट्रीय कम्प्यूटर तन्त्र) एक विशाल जाल के प्रकार सारे विश्व को घेरा हुआ है। पल भर में एक बात सारे विश्व में पहुंचाई जाती है।

विद्युन्यय साधन के माध्यम जिस प्रकार आम तथा साधारण होते जा रहे हैं इसी प्रकार समाज में अश्लीलता व निर्लज्जता फैलती जा रही है। इन साधन के ग़लत प्रयोग के कारण युवा पीढी विनाश हो रही है। इसलाम के

विरोधी इन शक्तिशाली माध्यम व साधन के द्वारा इसलाम के चित्र को बिगाड कर पेश कर रहे हैं।

कभी इसलाम में के संस्कृति पर आक्रमण किए जा रहे हैं तो कभी से इसलाम कि शुद्धता को व्यर्थ किया जा रहा है। कहीं इसलाम के सिद्धांत पर आक्षेप किया जा रहा है तो कहीं क़ुरानी आयात (पद्य) का विरोध किया जा रहा हैं। ऐसे अस्थिरमति समय में इसलामी विश्वास के संरक्षण, इसलाम के सिद्धांत तथा अहकाम शरीअ़ कि पासदारी के लिए इसलाम के विश्वास का प्रदर्शन करने और भले कर्म व उच्च शिष्टाचार को आम करने लिए इस बात कि अत्यन्त आवश्यकता थी के इन्हीं माध्यम तथा वस्तुओं का प्रयोग कर के विश्व पर पर सत्य को स्पष्ट किया जाए तथा इसलाम कि सच्ची चित्र को जगत के सामने पेश किया जाए ताके मुसलिम समुदाय सत्य कि सरबुलंदी के लिए तैयार हो जाएं तथा असत्यता से हमेशां के लिए बेज़ार हो जाए।

इन्हीं लक्ष्य व उद्देश्य के प्रति अबुल हसनात इसलामिक रीसर्च सेन्टर 18 ज़िल हज्जा 1428 हिज्री 29 डिसम्बर, शनिवार के दिन मौलाना मुफती सैयद ज़िया उद्दीन नक्षबंदी खादरी दामत बरकातुहुम शेक़ुल फिखह जामिया निज़ामिया ने स्थापित फरमाया, जिस का रजिस्ट्रेशन नम्बरः 501/2008 है।

सर्वश्रेष्ट प्रशंसा व गुणगान अल्लाह तआ़ला के लिए! हज़रत अबुल क़ैर सैयद रहमतुल्लाह शाह नक्षबंदी मुजद्दिदी खादरी रहमतुल्लाहि अलैह जो हज़रत हज़रत मुहद्दिस देक्कन रहमतुल्लाहि अलैह के उत्तराधिकारी हैं रीसर्च सेन्टर को अपने जीवन भर मार्गदर्शित फरमाते रहे। मुफक्किर इसलाम मौलाना मुफती क़लील अहमद दामत बरकातुबुम आलिया जामिया निज़ामिया उपकुलपति हैं इस के मुख्य सहायक है।

मंत्रणा- मण्डल मे शामिल हैं-

(1)- मौलाना डाकटर हाफिज़ शैख अहमद मोहिउद्दीन शरफी साहिब संचालक दारुल ऊ़लूम नोऊ़मानिया तथा मुख्य सलाहकार।

(2)- मौलाना खाज़ी सैयद शाह ऊ़ाज़म ऊ़ली सूफी खादरी साहिब अध्यक्ष कुल हिन्दुस्तानुल मशाइक़।

(3)- मौलाना सैयद शाह महमुद पाशा खादरी साहिब, ज़रीन कुलाह, सज्जादह नशीन हज़रत सुलतान उल वाईज़ीन ज़रीन कुलाह (रहमतुल्लाहि अलैह)

(4)- मौलाना डाकटर हाफिज़ सैयद शाह बदिऊ़उद्दीन साब्री साहिब अध्यक्ष (मण्डल विद्याभ्यास) उसमानिया यूनिवर्सिटी।

(5)- मौलाना डाकटर मुहम्मद मुसतफा शरीफ नक्षबंदी साहिब मुख्य विभाग- ऊ़रबिक विभाग, तथा निर्देशक दइ़रतुल माऊ़रिफ अल उसमानिया।

(6)- आदरणीय ऊ़ाली जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी साहिब एम.एल.ऐ. चारमीनार चुनाव-क्षेत्र, प्रधान कार्यदर्शी, कूल हिन्द मजलिस इत्तेहादुल मुसलिमीन।

(7)- मौलाना ख्वाजा मुहम्मद बहाउद्दीन फारुख नक्षबंदी खादरी साहिब।

(8)- मौलाना शाह मुहम्मद फसीहउद्दीन निज़ामी साहिब अध्यक्ष पुस्तकालयाध्यक्ष, जामिया निज़ामिया

(9)- मौलाना सैयद शाह ऑलिया हुसैनी मुरतुज़ा पाशाह साहिब (पोते) शेक़ुल इसलाम रहमतुल्लाहि अलैह।

(10)- मौलाना सैयद शाह इब्राहीम खादरी साहिब ज़रीन कुलाह सज्जादा नशीन, हज़रत खुबूल पाशह ज़रीन कुलाह।

(11)- मौलाना मुहम्मद हामिद हुसैन हस्सान फारुखी साहिब कामिल जामिया निज़ामिया, निरीक्षक, सुन्नी दावत इसलामी आंध्र प्रदेश।

(12)- मौलाना सैयद शाह नुर उल सूफी रुही पाशह साहिब मुख्य खाज़ी, सिकंद्राबाद।

(13)- मौलाना मुहम्मद सुलतान अहमद खादरी साहिब कामिल जामिया निज़ामिया।

(14)- मौलाना सैयद शाह फैज़उद्दीन खुरैशी खादरी साहिब सलीम पाशह सज्जादा नशीन, बारगाह जमालिया अम्बरपेट, हैद्राबाद।

(15)- आ़ली जनाब अलहाज मुहम्मद ज़हीरउद्दीन नक्षबंदी खादरी साहिब, मुतवल्ली, मसजिद अबुल हसनात जहानुमा हैद्राबाद।

(16)- आ़ली जनाब अलहाज ख्वाजा मोअ़नउद्दीन इखबाल खादरी मुलतानी साहिब अध्यक्ष, मीलाद कमेटी हैद्राबाद तथा

(17)- आली जनाब मिरज़ा असलम बेग़ साहिब, शामिल हैं।

रीसर्च सेन्टर के प्रति इसलामी पुस्तकें प्रकाशन का प्रबंध तथा अन्य विषय पर सी डीज़ जिसकी आज आवश्यकता है उसका सिलसिला जारी है। विश्वास, जीवनी, धर्मशास्त्र समस्याएं, वर्तमान समस्याएं, शिष्टाचार, नीतिविद्या, साहित्यिक तथा सार्वजनिक भाषण पर पुस्तकें उर्दू व अँग्रेज़ी भाषा में उपलब्ध है, तेलुगू में भी पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं।

मुफती साहब क़िबला के व्याख्यान व भाषण (लेकचर्स) कि नइ सी डीज़ हर सप्ताह विमोचित होती हैं तथा सी डीज़ और डीवीडी (200) से अधिक उत्तेजक विषय पर सी डीज़ उपलब्ध हैं। मुफती साहब के साप्ताहिक लेकचर्स

वैब साइट पर सीधा प्रसारण किए जा रहे हैं जो सारे विश्व के लिए लाभदायक व हितलाभ का माध्यम है।

सेन्टर कि ओर से 40 से अधिक स्थान पर निमन्त्रण व दावाह का काम जारी है, इन अधिवेशन में विषय एक विशिष्ट लेकचर के अतिरिक्त क़ुरान करीम का अभ्यास (शासन), सहीह बुखारी का अभ्यास तथा फिख्ह (धर्मशास्त्र) का अभ्यास से सैंकडो सदस्य वह कर रहे हैं।

आदरणीय हज़रत मुफती साहब के सेन्टर से प्रसिद्ध होने वाले विषय व पुस्तकें, निबन्ध, शासन व फतावा के वीडियो क्लिप्स से हैद्राबाद तथा अतराफ के मुसलमान खूब लाभ उठा कर रहे हैं। अधिक देश कि अन्य राज्य से भी पुस्तकें तथा वीडियो सीडीज़ कि मांग दिन बदिन बढती जा रही है। इस के अतिरिक्त, लाखों कि संख्या वह है जो इन्टरनेट पर आनलाइन हैं वह लाभ उठा रही हैं।

फेसबुक, यूटियुब तथा गुगल वीडियो तथा अन्य वैबसाइट पर समय के अनुसार से उत्तेजिक विषय तथा पुस्तकों के सात भी अपलोड किए जाते हैं। जिन से देश व प्रदेश कि जनता ग़ैर मामुली संख्या में प्रकोप करते हैं तथा अपने सुझाव व विचार का प्रकट करते हैं।

सेन्टर कि ओर से हर वर्ष गर्मी के मौसम कि शिक्षा के अवसर पर अल्पावधि (अल्पकालीन) कोर्स का प्रबंध रह करता है। स्पोकन (मौखिक) अरबिक क्लास का भी प्रबंध है। जिस में दैनिक आधार के प्रति धार्मिक छात्र के अलावा स्कूल व कॉलेज के छात्र तथा कर्मचारी व व्यापारिक पेशे के लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं।

मुफती साहब ने वर्तमान काल के आवश्यकता के पेश नज़र रीसर्च सेन्टर ने इसलामी वैबसाइट Www.Ziaislamic.com उर्दू तथा अंग्रेज़ी भाषा में आरम्भ कि है जो नीचे वर्णन महत्व कार्य पर स्थापित हैः-

-

- उच्च अनुसंधान, फतवे जो क़ुरान करीम, हदीस के अनुसार, अखाइ़द (विश्वास), इ़बादात (आराधना), मामलात (व्यवहार), सामाजिक जीवन तथा शिष्टाचार व सभ्याचार के आधार पर स्थापित है।
- अहले बैत व सहाबा के जीवनी, विश्वास तथा शिक्षण।
- धार्मिक (सदाचारी) मानव के जीवनी, विश्वास तथा शिक्षण।
- मानसिक (बुद्धि-विषयक), शोधन, विश्वास से संबंधित उच्च अनुसंधान पुस्तकें।
- इसलामी सिद्धांत पर विचारधारा निबन्ध।
- वर्तमान व उत्तेजिक सुविज्ञ व सुशिक्षित निबन्ध।
- आधुनिक व वैज्ञानिक सम्सया तथा उस पर शरीअ़त का निर्णय।
- मनमोहक व आकर्षक करने वाले श्रव्य व वीडियो भाषण।

एक विशेष संभाग "मुहद्दिस देक्कन" के नाम से पेज है जिस में हज़रत मुहद्दिस देक्कन रहमतुल्लाहि अलैह कि रचना व शिक्षण उपलब्ध शामिल है।

एक और संभाग *गुलिस्तान हज़रत शेकुल इसलाम* के नाम से पेज है जिस में हज़रत शेकुल इसलाम, निर्माता जामिया निज़ामिया रहमतुल्लाहि अलैह कि रचना तथा विवरण उपलब्ध हैं।

रमज़ान मास के अवसर पर एक विशेषत पेज रमज़ान इस्पेशल के नाम से प्रसिद्ध किया जाता है जो रमज़ान कि उत्तमता व विशेषता (उत्कृष्टता व प्रतिष्ठा) से संबंधित अहादीस शरीफ, रोज़े के मसाइल, तावीह के मसाइ़ल, ऐअ़तेकाफ के मसाइ़ल, शबे खद्र के विशेषता व मसाइ़ल व अहकाम और

दुआएं ईद कि नमाज़ के मसाइल व अहकाम तथा सदक़े फित्र के अहकाम पर निर्धारित होता है।

हज के अवसर पर हज व उमरह तथा ज़ियारत के मसाइल व अहकाम, उत्तमता व शिष्टाचार, फतावा व विषय पर स्थापित एक विशेषत पेज "हज स्पेशल" आरम्भ किया जाता है।

महिलाओं के लिए मसाइल व अहकाम से अनुभव सुशिक्षित होने तथा इन को धार्मिक ज्ञान के दृष्टिकोण से एक संभाग "वुमेन्स सेकशन" नाम से स्थापित किया गया। अल्लाह तआला के कर्म से रीसर्च सेन्टर प्रति के प्रबंध नीचे वर्णन विभाग कार्यरत हैं।

- अनुसंधान का विभाग
- विकास व शिक्षण का विभाग
- इसलामी धर्मशास्त्र का विभाग
- भाषांतर का विभाग
- दावह का विभाग
- प्रकाशित व मुद्रांकन का विभाग

अल्लाह तआला कि कृपा है इस वैबसाइट से उपमहाद्वीप के अतिरिक्त से प्रस्तुत धारा अतिरिक्त सऊदी अरब, U.A.E. कतर, उमान, ईरान, अमरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ब्राज़ील, थाइलैंड, न्यूज़ीलैंड, आयरलैंड, नेधेरलैंड, कनाडा, कुवैत, इटली, बगंलादेश, U.K., उरपह, जापान, स्वीडन, मलेशिया, मॉरिशस, रुस, सीरिया, कोलम्बिया, स्लोवाकिया, डेनमार्क, नार्वे, ग्रीस, इज़राइल, टर्की, मौजम बैकय, बेल्जियम, सन मराइन, हंगरी और दुनिया के अनेक देशों से रोजाना हजारो व्यक्ति दर्शन कर रहें है।

महाराष्ट्र राज्य के नगर पुना में दिस्म्बर, 22, 2011, को जामा मसजिद केमपे में होने वाले सम्मेलन में विषयः *भारत में इसलाम का पदार्पण, उनके*

व्यवस्थित व सुकारक प्रसारण में आदरण मुफती साहब के भाषण के बाद, मसजिद के खतीब, मौलाना हाफिज़ मुहम्मद अयुबी अशरफी आगे बढकर अबुल हसनात इसलामिक रीसर्च सेन्टर के ब्रांच (शाखा-कार्यालय) के प्रस्ताव को पेश किया तथा पुना में ब्रांच प्रमाणित किया गया और मसजिद के खतीब को मुखिया तथा मौलाना हाफिज़ मुहम्मद अयुबी अशरफी के उपराष्ट्रपति घोषित किया गया। अबुल हसनात इसलामिक रीसर्च सेन्टर के क्रियाशीलता (सक्रियता) के प्रसार के लिए क्षेत्रीय शाख स्थापित किए जा रहे हैः- निज़ामाबाद, बोधन, करीमनगर, आदिलाबाद, यमगनुर, कुरनूल, अधूनी, गुनतकल, विजैयवाडा, होसपेट तथा अन्य स्थान पर जनता कि आग्रह व मांग पर स्थापित होंगे।

अल्लाह तआ़ला रीसर्च सेन्टर कि इन कार्यकलाप में दिन दुगनी रात चौगनी सफलतता व उन्नति दान फरमाए तथा अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के सदखे व तुफैल इन सेवा को स्वीकार फरमाएं।